भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
(युवा कार्यक्रम विभाग)
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1439
उत्तर देने की तारीख 30 जुलाई, 2026
8 श्रावण, 1948 (शक)

अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम

1439 डा. परमार जशवंतसिंह सालमसिंहः
श्री विजय चिंताकायला:
श्री सुभाष बराला:
श्री शंभू शरण पटेल:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) माई भारत प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से चलाए जा रहे अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रमों के क्या उद्देश्य हैं और ये अकादमिक अधिगम और वास्तविक - दुनिया के व्यावहारिक अनुभव के बीच के अंतर को किस प्रकार कम करते हैं;

(ख) सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों और व्यवसायों में इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कार्यक्रमों में कितनी भागीदारी रही है और अनुभवात्मक अधिगम अवसरों में नामांकन कराने वाले और उसे पूरा करने वाले युवाओं की संख्या कितनी है, राज्य / संघ राज्यक्षेत्र - वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुभवात्मक अधिगम प्रारूप की अवधि, संरचना सहित विस्तृत रूपरेखा क्या है और सत्यापन में माई भारत एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों और नियोजन अधिकारियों की क्या भूमिका है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री
(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) माय भारत प्लेटफॉम के माध्यम से उपलब्ध एक्सपीरिएंशियल लर्निंग कार्यक्रमों (ईएलपी) का उद्देश्य युवाओं को सरकारी विभागों, सार्वजनिक संस्थानों तथा भागीदार संगठनों में वास्तविक कार्य परिवेश में संरचित, अल्पकालिक एवं सीखने के व्यावहारिक अवसर उपलब्ध कराना है। इन कार्यक्रमों को कक्षागत ज्ञान के वास्तविक परिस्थितियों में अनुप्रयोग को सुदृढ़ करने, कार्यात्मक एवं

व्यावसायिक दक्षता का विकास करने तथा सहभागियों को सार्वजनिक संस्थानों एवं सामुदायिक पहलों की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के लिए डिजाइन किया गया है।

ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को मेजबान संस्थाओं के मार्गदर्शन में संरचित कार्यभार सम्पन्न करने के अवसर प्रदान कर शैक्षणिक शिक्षा और व्यावहारिक अनुभव के बीच के अंतर को कम करते हैं। प्रतिभागी औपचारिक शिक्षा के दौरान अर्जित अवधारणाओं का वास्तविक कार्य परिवेश में अनुप्रयोग करते हैं, संस्थागत कार्य-प्रणालियों का अवलोकन करते हैं तथा फील्ड और कार्यालय आधारित गतिविधियों के माध्यम से व्यावहारिक एक्सपोजर प्राप्त करते हैं। प्रत्येक कार्यक्रम के लिए सीखने के निर्धारित उद्देश्य, सौंपे गए कार्य, पर्यवेक्षण व्यवस्था तथा पूर्णता संबंधी मानदंड निर्धारित हैं, ताकि व्यवस्थित लर्निंग सुनिश्चित हो सके। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, डाक सेवाओं, कृषि, प्रसारण, सड़क सुरक्षा, सार्वजनिक वितरण, शासन तथा सामुदायिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हैं। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर प्रतिभागियों को माय भारत पोर्टल के माध्यम से संयुक्त रूप से सत्यापित डिजिटल प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाता है।

(ख) और (ग): माय भारत, माय भारत पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों, सार्वजनिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों तथा भागीदार संगठनों के सहयोग से एक्सपीरिएंशियल लर्निंग कार्यक्रम (ईएलपी) उपलब्ध कराता है। प्रमुख कार्यक्रमों में डाक विभाग के सहयोग से इंडिया पोस्ट ईएलपी; फार्मास्युटिकल एंड मेडिकल डिवाईसेस ब्यूरो ऑफ़ इंडिया (पीएमबीआई) के सहयोग से जन औषधि ईएलपी; राज्य एवं जिला स्वास्थ्य विभागों के सहयोग से सेवा से सीखें ईएलपी; खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभागों के सहयोग से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) ईएलपी; सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, सीओईआरएस-आईआईटी मद्रास तथा सेव लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से सड़क सुरक्षा मित्र ईएलपी; प्रसार भारती एवं राष्ट्रीय प्रसारण एवं मल्टीमीडिया अकादमी (एनएबीएम) के सहयोग से रेडियो प्रोडक्शन एवं प्रेजेंटेशन ईएलपी; किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सहयोग से किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) ईएलपी; वृद्धाश्रमों में वरिष्ठ नागरिकों के साथ युवा सहभागिता ईएलपी; तथा भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के सेंटर फॉर नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीईएनएसई) एवं जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण कार्यक्रम शामिल हैं। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, डाक सेवाओं, खाद्य सुरक्षा, कृषि, प्रसारण, सड़क सुरक्षा, सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी, वरिष्ठ नागरिक देखभाल तथा सामुदायिक विकास जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हैं, जो कार्यक्रमों की अवधि तथा कार्यान्वयन की कार्यप्रणाली जैसी कार्यक्रम की आवश्यकताओं के अनुसार भिन्न-भिन्न होते हैं।

माय भारत प्लेटफ़ार्म के शुभारंभ से अब तक लगभग 25,000 एक्सपीरिएंशल लर्निंग कार्यक्रमों (ईएलपी) में 1.22 लाख से अधिक युवाओं ने नामांकन किया है तथा उन्हें माय भारत पोर्टल के

माध्यम से डिजिटल प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

(घ) माय भारत पोर्टल पर एक मानकीकृत रूपरेखा के अनुसार एक्सपीरिएंशियल लर्निंग कार्यक्रमों (ईएलपी) का कार्यान्वयन किया जाता है। भागीदार संगठन पोर्टल पर कार्यक्रम के उद्देश्य, पात्रता, अवधि, स्थान तथा गतिविधियों सहित कार्यक्रम का विवरण प्रकाशित करते हैं। मेजबान संगठन की आवश्यकताओं के अनुसार ईएलपी की अवधि 20 घंटे से 360 घंटे तक होती है। इच्छुक युवा, पोर्टल के माध्यम से आवेदन करते हैं तथा संबंधित मेजबान संगठन द्वारा इसकी जांच की जाती है। मेजबान संगठन के पर्यवेक्षण में चयनित प्रतिभागियों को अभिमुखीकरण प्रदान किया जाता है तथा वे निर्धारित गतिविधियों का निष्पादन करते हैं। कार्यक्रम की अवधि के दौरान प्रतिभागियों की उपस्थिति,भागीदारी तथा आवंटित कार्यों की पूर्णता की नियमित निगरानी की जाती है। निर्धारित आवश्यकताओं को सफलतापूर्वक पूरा करने पर मेजबान संगठन माय भारत पोर्टल पर कार्यक्रम की पूर्णता का सत्यापन करता है, जिसके उपरांत संयुक्त रूप से सत्यापित डिजिटल प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

माय भारत डिजिटल प्लेटफ़ार्म , परिचालन रूपरेखा, कार्यक्रम की निगरानी तथा प्रमाण-पत्र सृजन की सुविधा उपलब्ध कराता है जबकि संबंधित मेजबान संगठन प्रतिभागियों के चयन, पर्यवेक्षण, उपस्थिति, कार्यक्रम की पूर्णता के सत्यापन तथा माय भारत पोर्टल के माध्यम से प्रमाणन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एनएसएस के कार्यक्रम अधिकारी तथा प्लेसमेंट अधिकारी उपयुक्त कार्यक्रमों में पात्र विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता, लामबंदी और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

अनुबंध-I

अनुभवात्मक अधिगम कार्यक्रम के संबंध में दिनांक 30.07.2026 के लिए पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1439 के उत्तर के भाग (ग) में संदर्भित अनुबंध

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कुल ईएलपी	ईएलपी अवेदन
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	21	86
आंध्र प्रदेश	249	1432
अरुणाचल प्रदेश	39	215
असम	279	2818
बिहार	943	2296
चंडीगढ़	84	1144
छत्तीसगढ	221	2212
दिल्ली	202	2388
गोवा	163	1016
गुजरात	478	2762
हरियाणा	1205	7167
हिमाचल प्रदेश	526	1488
जम्मू और कश्मीर	196	994
झारखंड	239	1429
कर्नाटक	589	3580
केरल	710	2662
लद्दाख	12	122
लक्षद्वीप	13	63
मध्य प्रदेश	439	2990
महाराष्ट्र	9590	24245
मणिपुर	26	236
मेघालय	51	250
मिजोरम	20	104
नागालैंड	38	213
ओडिशा	427	2202
पुदुचेरी	82	460
पंजाब	460	2486
राजस्थान	1017	10714
सिक्किम	26	152

तमिलनाडु	995	6667
तेलंगाना	157	1090
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	13	73
त्रिपुरा	224	1754
उत्तर प्रदेश	3465	21605
उत्तराखंड	317	1144
पश्चिम बंगाल	1542	7496
अखिल भारतीय	5	4722
कुल	**25063**	**122477**
